फुल सिंह

बनाम

मध्य प्रदेश राज्य

अपराधिक अपील नं0 – 1520/2021

01, दिसम्बर 2021

न्यायमूर्ति – एम. आर शाह और संजीव खन्ना

दण्ड संहिता 1860– धारा 376 – बलात्कार – अभियोजन मुकदमा यह है कि जब पीड़िता का पति दूसरे गांव में था और वह अकेली अपने कमरे में सो रही थी तब अभियुक्त दिवार को कुद कर पीड़िता के कमरे में प्रवेश किया और उसके साथ बलात्कार किया । पीड़िता ने घटना के बारे में अपनी सास और ननद को बताया। उन्होंने पीड़िता पर विश्वास नहीं किया । इसके विपरीत उसकी पिटाई की गई – उसके बाद उसको उसके माता–पिता के घर जाने को विवश किया गया – प्राथमिकी दर्ज की गई । विचारण न्यायालय के द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376 के अंतर्गत अभियुक्त को दोषसिद्ध किया गया और उसे सात साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई । इस सजा से क्षुब्ध हो कर अपीलकर्ता अभियुक्त ने माननीय उच्च न्यायालय में अपील दायर किया, जो कि खारिज हो गया – सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष यह बात रखी गई कि चिकित्सीय साक्ष्य ने पीड़िता के मुकदमें का समर्थन नहीं किया, क्योंकि चिकित्सक ने अपनी गवाही में विशिष्ट रूप से यह कथन किया है कि पीड़िता के शरीर पर कोई आंतरिक और बाहरी जख्म नहीं पाये गये हैं। उनका यह भी कहना है कि अभियोजन का मुकदमा पीड़िता के बयान पर ही आधारित है। और उसके द्वारा दाखिल प्राथमिकी में तीन दिनों की देरी है – यह पाया गया – पीड़िता ने अभियोजन के मुकदमें को पूरी तरीके से समर्थन किया है। पीड़िता का बयान शुरू से अंतिम तक सतत् एवं प्रभावी रहा है – पीड़िता के एकमात्र गवाही को विश्वास नहीं करने का कोई पर्याप्त आधार नहीं है – यहां तक कि प्रतिपरीक्षण के दौरान भी पीड़िता ने अभियोजन साक्ष्य को बल प्रदान किया है और अपने बात पर पूर्ण रूप से अडिग रही है, जो उसने पूर्व में कहा है – पीड़िता के सत्यनिष्ठा और नियत पर संदेह करने का कोई स्पष्ट कारण नहीं है – पीड़िता के शरीर पर बाहरी और भीतरी जख्मों का ना होने के बारे में प्रतिपरीक्षण में कोई सवाल दूर–दूर तक नहीं पूछा गया है – इसीलिये बाहरी और भीतरी जख्मों के बारे में अभियुक्त का कथन पूरी तरह से खारिज किया जाता है – जहां तक प्राथमिकी दर्ज कराने में हुये तीन दिन की देरी का सवाल है, इसके बारे में पीडिता ने स्पष्ट और सतत रूप से घ ाटना के तुरंत बाद अपनी ननद और सास को बताया था, जिन्होंने पीड़िता के उपर कभी भी

विश्वास नहीं किया । यहां तक कि उसके ससुराल के किसी भी सदस्य ने उसकी बात का समर्थन नहीं किया । जिसके बाद उसे अपने मायके जाने पर मजबूर किया गया – उसके बाद उसने प्राथमिकी दर्ज कराया, जिसमें उसे देर हो गई । इसीलिये प्राथमिकी देर से होने का लाभ ऐसी परिस्थिति में अभियुक्त को नहीं दिया जा सकता, जो पीड़िता का रिस्तेदार भी है – दोषसिद्धी एवं सजा के आदेश को अपीलकर्ता अभियुक्त के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376 में सम्पुष्ट किया जाता है ।

अपील को खारिज करते हुये न्यायालय यह पाती है कि

1. सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अनेक मुकदमों में पारित आदेशों एवं न्याय निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में पीड़िता के सत्यनिष्ठा एवं विश्वसनीयता पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है । उसे सत्यनिष्ठ और तार्किक पाया गया है । इसीलिये बिना किसी अन्य साक्ष्य के अभियुक्त का दोषसिद्ध पीड़िता के एकमात्र गवाही के आधार पर बरकरार रखा जा सकता है । [अंश 6]332-डी-ई]

2. जहां तक अभियुक्त का यह कहना कि पीड़िता शरीर पर के बाहरी अथवा भीतरी किसी प्रकार के लख्मों का निशान नहीं है । इसीलिये यह सहमति से बने संबंध हो सकते है, इस कथन में कोई बल नहीं है, क्योंकि प्रतिपरीक्षण के दौरान अभियुक्त के द्वारा ऐसा कोई भी प्रश्न पीड़िता से नहीं पूछा गया । इसीलिये अभियुक्त का सहमति का कथन पूरी तरह खारिज होने योग्य है । [अंश 7]332-डी-ई]

अब जहां तक अभियुक्त का यह कथन कि परीक्षण न्यायालय के द्वारा अभियुक्त के गवाह (Dw-1) पर विश्वास नहीं करने की गलती, प्रतिपक्ष पर विश्वास नहीं रहने की गलती एवं अभियुक्त के घटना की रात्रि गांव में उपस्थित नहीं रहने की बात पर विश्वास नहीं करने की गलती का सवाल है, जो इन बिंदुओं पर परीक्षण न्यायालय के द्वारा अभियुक्त गवाह – 1 एवं उसके अन्य जगह रहने के तथ्य पर विश्वास नहीं रहने का पर्याप्त कारण बताया गया है । अभियुक्त का गवाह भी ग्रामीण है एवं अभियुक्त का इंदौर जाने का कारण नहीं बताया गया है । यह अभियुक्त और बचाव पक्ष की ओर से कथन था कि एक ''बी'' के साथ दुर्घटना हुई थी, जिसे Dw-1 अभियुक्त फुल सिंह ''बी'' को लेकर इंदौर गये थे और उस रात इंदौर में रूके थे । हालांकि यह पाया गया है कि ''बी'' को दो महीने पहले चोट लगी थी । बचाव पक्ष ने अस्पताल या जांच करने वाले डॉक्टर या चिकित्सक या अस्पताल का कर्मचारी का रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किया गया था जहां उक्त ''बी'' को इलाज के लिये ले जाया गया था ।

बचाव पक्ष के अनुसार वे इंदौर में एक ''टी'' के घर में रह रहे थे, लेकिन उक्त ''टी''

की जांच नहीं की गई है । यहां तक की ''बी'' की भी जांच नहीं की गई है । इन परिस्थितियों में निचली अदालत ने आरोपी द्वारा उठाये गये बहाना की याचिका पर सही में विश्वास नहीं किया है और Dw-1 पर सही में विश्वास नहीं किया गया है । साक्ष्य के मूल्याकंन पर निचली अदालत ने विशेष रूप से कहा है कि Dw-1 के बयान से कोई विश्वास उत्पन्न नहीं होता है । [पैरा 7]332-ए-सी]

4. अब जहां तक अभियुक्त की ओर से यह निवेदन है कि प्राथमिकी दर्ज करने में तीन दिन की देरी हुई थी इस मामले में यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि अभियोजक की ओर से यह विशिष्टि और सुसंगत मामला था कि घटना के तुरंत बाद, उसने अपनी साली और सास को घटना के बारे में बताया, लेकिन उन्हें अभियोजक पर विश्वास नहीं हुआ। इसके विपरीत, उन्होंने उसे पीटा। यहां तक कि उसके वैवाहिक घर में परिवार के किसी अन्य सदस्य ने भी अभियोजक का समर्थन नहीं किया और इसलिए उसने अपने माता.पिता के घर संदेश भेजा और उसके बाद उसे उसके माता.पिता के घर ले जाया गया और प्राथमिकी दर्ज की गई। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस मामले में साली और सास ने महिला होने के बावजूद इसका समर्थन नहीं किया । इसके विपरीत, उसे अपने माता–पिता के घर जाने के लिए मजबूर किया गया और उसके बाद प्राथमिकी दर्ज की गई। महिला होने के नाते कम से कम साली और सास होने के नाते उसे पीटने के बजाय अभियोजक का समर्थन करना चाहिए था और उस पर विश्वास करना चाहिए था । इसलिए जब ऐसी स्थिति में, प्राथमिकी दर्ज करने में देरी हुई है, तो इस तरह की देरी का लाभ उस आरोपी को नहीं दिया जा सकता है जो रिश्तेदार था। [पैरा 9] [333-सी-एफ]

5. अब जहाँ तक अभियुक्त की ओर से आई. पी. सी. की धारा 376 के प्रावधान पर विचार करते हुए सजा को कम करने की प्रार्थना की बात से संबंधित है, आई. पी. सी. की धारा 376 के पूर्व. संशोधन के अनुसार, न्यूनतम सजा सात साल होगी । हालांकि, परंतुक के अनुसार, अदालत पर्याप्त और विशेष कारणों का उल्लेख करते हुये । सात साल से कम की अवधि के लिये कारावास की सजा दे सकती है कारावास की सजा देने के लिये असाधारण और या विशेष कारण नहीं बनाये गये है। सात वर्ष से कम की अवधि के लिये इसके विपरीत इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के मदेनजर यह कहा जा सकता है कि अभियुक्त 17 को केवल सात साल के कठोर कारावास की न्यूनतम सजा देकर हल्के में लिया गया है । पीड़िता के रिश्तेदार भी वैवाहित घर में परिवार में किसी ने भी उसका समर्थन नहीं किया और उसे मानसिक आघात का सामना करना पड़ा । वह अपने माता–पिता के पास उनके घर जाने के लिये मजबूर थी, उसके बाद वह प्राथमिकी दर्ज करने में दर्ज करने में सक्षम हुई। अभियुक्त एक झूठा मामला/बहाना याचिका के साथ सामने आया है, जिसे नीचे की अदालतों द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है। इन

परिस्थितियों में, सजा को कम करने और/या सजा को सात साल के कठोर कारावास से सात साल के साधारण कारावास में बदलने के लिए अपीलार्थी की प्रार्थना स्वीकार नहीं की जाती है और इसे अस्वीकार कर दिया जाता है। [पैरा 10] [333-एफ-एच; 334-ए-सी]

गणेशन बनाम. राज्य, (2020) 10 एस. सी. सी. 573; राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) दिल्ली) वी. पंकज चौधरी (2019) 11 एस. सी. सी. 575
: [2018] 14 एससीआर 78; शाम सिंह बनाम। हरियाणा राज्य,
(2018) 18 एस. सी. सी. 34-पर आधारित .
संतोष प्रसाद बनाम। बिहार राज्य (2020) 3 एस. सी. सी. 443
: [2020] 2 एससीआर 798; एच. पी. बनाम राज्य मंगा सिंह,

(2019) 16 एससीसी 759 [2018] 14 एससीआर 904-संदर्भित ।

मामला कानून संदर्भ

(2020) 10 एस. सी. सी. 573

आधारित

पैरा 4.2
[2020] 2 एससीआर 798
पैरा 4.2

[2018] 14 एससीआर 904

पैरा 4.2

संदर्भित

[2018] 14 एससीआर 78

आधारित

पैरा 4.2
(2018) 18 एस. सी. सी. 34

आधारित

पैरा 5.4

आपराधिक अपील क्षेत्राधिकार आपराधिक अपील
2021 का No.1520।

उच्च न्यायालय के 05.09.2019 दिनांकित निर्णय और आदेश से
2000 की आपराधिक अपील No.875 में मध्य प्रदेश की, इंदौर की पीठ।

फूल सिंह वी. मध्य प्रदेश का राज्य

आदित्य गग्गर, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

अभय प्रकाश सहाय, ए. ए. जी., पशुपति नाथ राजदान, सुश्री रश्मि सिंघानिया, प्रखर श्रीवास्तव, सुश्री स्नेह बैरवा, अधिवक्ता। के लिए

उत्तरदाता।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एम. आर. शाह, जे.

1. आपराधिक अपील सं. 875/2000 में इंदौर में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और दिनांक 05.09.2019 के आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता अभियुक्त द्वारा की गई उक्त अपील को खारिज कर दिया है और सत्र परीक्षण सं. 05/2000 में विद्वान सत्र न्यायाधीश, देवास ;जिसे इसके बाद विद्वान 'विचारण न्यायालय' के रूप में संदर्भित किया गया है) द्वारा पारित निर्णय और दोषसिद्धि के आदेश और सजा की पुष्टि की है, जिसमें अभियुक्त को आई. पी. सी. की धारा 376 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है और उसे डिफ़ॉल्ट शर्त के साथ Rs.500/- के जुर्माने के साथ 7 साल के कठोर कारावास से गुजरने की सजा सुनाई गई है।

2. अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, 9 अगस्त, 1999 की दरम्यानी रात को जब पीड़ित/अभियोजक का पति दूसरे गाँव गया और वह अकेली थी और वह अपने कमरे में सो रही थी] तो आरोपी दीवार से कूद गया और अभियोजक के कमरे में घुस गया। अभियुक्त को देखकर पीड़िता जाग गया और बल्ब की रोशनी में उसने अभियुक्त की पहचान कर ली। फिर आरोपी ने पीड़िता का मुंह दबाया और बलात्कार किया और उसके बाद वह दीवार कूदकर भाग गया। पीड़िता के मामले के अनुसार, उसने अपनी साली (जेठानी) और सास को घटना के बारे में बताया, लेकिन उन्हें उस पर विश्वास नहीं हुआ। इसके विपरीत, उसे पीटा गया। कि उसके बाद पीड़िता ने अपने ससुराल के अन्य लोगों को घटना के बारे में बताया, लेकिन किसी ने कोई कदम नहीं उठाया । पीड़िता ने फिर अपने मामले में सूचना दिया । इसके बाद, उसके चाचा और अन्य लोग उसके वैवाहिक घर आए और पीड़िता ने उन्हें घटना के बारे में बताया। वे उसे माता-पिता के घर ले गए। इसके बाद, 12.08.1999 पर एक प्राथमिकी दर्ज की गई। उसे चिकित्सकीय परीक्षण के लिए भेजा गया। जांच पूरी होने के बाद, आरोपी के खिलाफ आई. पी. सी. की धारा 376 के तहत दंडनीय अपराध के लिए आरोप पत्र दायर किया गया था । यह मामला विद्वत सत्र न्यायालय को सौंपा गया । अभियुक्त ने दोषी नहीं होने का दावा किया और इसलिए उस पर उपरोक्त अपराध के लिए मुकदमा चलाया गया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

2.1 अभियुक्त के खिलाफ आरोप साबित करने के लिए, अभियोजन पक्ष ने छह गवाहों की जाँच की, जिसमें डॉक्टर भी शामिल थे जिन्होंने पीड़िता की 12-08-1999 को जाँच की थी।

पीड़िता, अभियोजक-PW3 और जाँच अधिकारी PW6 एवं गवाहों में से एक राजाराम पीडब्लू 2 ने अभियोजन पक्ष की कहानी का समर्थन नहीं किया और उसे पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया। अभियुक्त ने ''एलीवी'' का बहाना बनाया और जिसके अनुसार वह घटना के दिन इंदौर गया था और वह उस दिन गाँव में नहीं था। उन्होंने बचाव पक्ष के गवाह से डी. डब्ल्यू. 1 के रूप में पूछताछ की। विद्वत विचारण न्यायालय ने ठोस कारण बताकर ''एलीवी'' और डी. डब्ल्यू. 1 की याचिका पर विश्वास नहीं किया । कि इसके बाद अभिलेख पर साक्ष्य की सराहना करने के बाद, निर्णय और दिनांक 31.07.2000 के आदेश द्वारा, विद्वत विचारण न्यायालय ने अभियुक्त को आई. पी. सी. की धारा 376 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया और अपीलार्थी को सजा सुनाई जैसा कि उपरी उल्लेख किया गया है।

2.2 विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और दोषसिद्धि के आदेश और सजा से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, अपीलार्थी-अभियुक्त ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील करना पसंद किया। के द्वारा के द्वारा विवादित निर्णय और आदेश, उच्च न्यायालय के द्वारा उक्त अपील को खारिज कर दिया है। इसलिए, वर्तमान अपील अभियुक्त के कहने पर है।

3. अभियुक्त की ओर से पेश हुए विद्वान अधिवक्ता श्री आदित्य गग्गर ने जोरदार ढंग से कहा है कि वर्तमान मामले में चिकित्सा साक्ष्य अभियोजक के मामले का समर्थन नहीं करते हैं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि डॉक्टर ने अपने बयान में विशेष रूप से कहा कि जांच में यह पाया गया कि अभियोजक के शरीर में कोई बाहरी या आंतरिक चोट नहीं पाई गई थी।

3.1 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए अभियोजन पक्ष का मामला केवल अभियोजक के बयान पर निर्भर करता है । यह प्रस्तुत किया जाता है कि किसी अन्य स्वतंत्र गवाह से कोई पूछताछ नहीं की गई है और ना हीं अभियोजक के मामले का समर्थन किया गया है ।

3.2 यह आगे कहा जाता है कि प्राथमिकी दर्ज करने में देरी हुई थी यह कहा जाता है कि घटना 9.8.1999 और प्राथमिकी 12.08.19 को हुई थी,

यानी तीन दिनों की अवधि के बाद दर्ज किया गया था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए अभियोजन पक्ष की कहानी में चिकित्सा साक्ष्य से कोई पुष्टि नहीं मिलती है और चोटों के किसी भी संकेत के अभाव मेंए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि शारीरिक संभोग भले ही यह माना गया हो कि यह हुआ था, पूरी सहमति से किया गया था।

3.3 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि दोनों, विद्वत विचारण न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने डी. डब्ल्यू. 1 पर विश्वास नहीं करने में भौतिक रूप से गलती की है, जो पी. एच. ओ. एल. सिंह बनाम।

मध्य प्रदेश राज्य [एम. आर. शाह, जे.]

स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कथित घटना की तारीखध्रात को आरोपी गांव में नहीं था और डी. डब्ल्यू. 1 के साथ इंदौर में था।

3.4 उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए, यह प्रार्थना की जाती है कि वर्तमान अपील की अनुमति दी जाए। वैकल्पिक रूप से, यह प्रार्थना की जाती है कि सजा को कम कर दिया जाए

तीन दिनों की अवधि के बाद 12.08.1999 पर दर्ज किया गया था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए अभियोजन पक्ष की कहानी में चिकित्सा साक्ष्य से कोई पुष्टि नहीं मिलती है और चोटों के किसी भी संकेत के अभाव में, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि शारीरिक संभोग भले ही यह माना गया हो कि यह हुआ था, पूरी सहमति से किया गया था।

3.3 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि दोनों, विद्वत विचारण न्यायालय के साथ.साथ उच्च न्यायालय ने डी. डब्ल्यू. 1 पर विश्वास नहीं करने में भौतिक रूप से गलती की है, जो पी. एच. ओ. एल. सिंह बनाम। साथ ही यह मध्य प्रदेश राज्य [एम. आर. शाह, जे.]

स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कथित घटना की तारीख/रात को आरोपी गांव में नहीं था और डी. डब्ल्यू. 1 के साथ इंदौर में था।

3.4 उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए, यह प्रार्थना की जाती है कि वर्तमान अपील की अनुमति दी जाए। वैकल्पिक रूप से, यह प्रार्थना की जाती है कि सजा को कम कर दिया जाए क्योंकि अब तक अभियुक्त निचली अदालतों द्वारा लगाई गई सात साल की सजा के विरुद्ध ढाई साल की सजा काट चुका है,जो कि पहले से ही गुजर चुकी अवधि है । साथ ही सात साल के कठोर कारावास को सात साल के साधारण कारावास में बदलने की भी प्रार्थना की जाती है।

4. प्रतिवादी राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री अभय प्रकाश सहाय ने वर्तमान अपील का जोरदार विरोध किया है।

4.1 यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में, विद्वत विचारण न्यायालय के साथ.साथ उच्च न्यायालय दोनों ने आई. पी. सी. की धारा 376 के तहत आरोपी को सही तरीके से दोषी ठहराया है। आई. पी. सी. की धारा 376 के तहत अपराध, अभियोजक/पीड़ित की एकमात्र गवाही के आधार पर पर निर्भर करता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अभियोजक की साख और विश्वसनीयता पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अभियोजक की जिरह करते समय अभियोजक से कोई सवाल नहीं पूछा गया था कि आरोपी के खिलाफ झूठा मामला दर्ज किया गया था।

4.2 यह प्रस्तुत किया जाता है कि एक बार जब यह पाया जाता है कि अभियोजक विश्वसनीय और भरोसेमंद है, तो उस मामले में बलात्कार के अपराध के लिए दोषसिद्धि हो सकती है.आई॰ पी॰ सी॰ की धारा 376, एकमात्र गवाह/पीड़ित के बयान पर निर्भर करती है। गणेशन बनाम के मामलों में इस न्यायालय के फैसलों पर भरोसा रखा गया है। राज्य, (2020) 10 एससीसी 573; संतोष प्रसाद बनाम। बिहार राज्य, (2020) 3 एससीसी 443; एच. पी. बनाम राज्य मंगा सिंह, (2019) 16 एस. सी. सी. 759; और राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली) बनाम। पंकज चौधरी (2019) 11 एस. सी. सी. 575।

4.3 यह प्रस्तुत किया जाता है कि पंकज चौधरी ,उपरोक्तद्ध के मामले मेंए स्पष्ट रूप से कहा गया है कि न्यायालय पीड़िता के एकमात्र गवाही पर सजा दे सकता है अगर दूसरी गवाही, सत्यता को दर्शाती है, और कोई ऐसा नियम अथवा प्रथा नहीं है कि पीड़िता के गवाही पर बिना कि अन्य साक्ष्य से तुलना किये भरोसा नहीं किया जा सकता है। अभियोजक के व्यक्ति में पाई गई आंतरिक चोटों और इसलिए अभियोजन मामले पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिएए जैसा कि किसी द्वारा समर्थित नहीं है पुष्टि करने वाला साक्ष्य और/या यह माना जाना चाहिए कि यह सहमति का मामला थाए यह प्रस्तुत किया जाता है कि सबसे पहले अभियोजक [2021] 9 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

4.4 अब जहां तक अभियुक्त के तरफ से डी0डब्लू 1 चिकित्सा के गवाही के उपर यह विश्वास करने के कारण है कि पीड़िता के शरीर के उपर बाहरी या भीतरी कोई जख्म नहीं पाये गये हैं । इसलिये साक्ष्य विश्वसीय नहीं है क्योंकि किसी अन्य साक्ष्य से बल नहीं मिला है । इसीलिये यह माना जाना चाहिये कि संबंध सहमति से बने हैं, क्योंकि पीड़िता का चिकित्सीय जांच घटना के तीन दिन के बाद किया गया है । लेकिन यह बात भी है कि पीड़िता ने अपने बयान पर शुरू से कायम रही है एवं प्रतिपरीक्षण के दौरान भी वह अपने पूर्व के बयान पर दृढ़ता से कायम रही है । ऐसी परिस्थिति में बिना किसी बाहरी एवं भीतरी जख्मों के भी अभियुक्त को सजा को बरकरार किया जा सकता है । यह प्रस्तुत किया जाता है कि अभियोजक शुरू से ही अपने साक्ष्य में सुसंगत है और यहां तक कि जिरह में भी वह खड़ी रही है।
उसने जो कहा है और उसने मामले का पूरा समर्थन किया है
अभियोजन। इसलिए यह प्रस्तुत किया जाता है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में और अभियोजक के व्यक्ति में किसी भी बाहरी या आंतरिक चोट के अभाव में भी, दोषसिद्धि को बनाए रखा जा सकता है।

4.5 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि अभियोजक की प्रतिपरीक्षा में भी कोई सुझाव नहीं है कि यह सहमति का मामला था।

4.6 राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में एक ओर अभियुक्त ने याचिका दायर की कि यह सहमति का मामला था और दूसरी ओर अभियुक्त ने बहाना दायर किया और कहा कि वह घटना की तारीख/रात को गाँव में नहीं थी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि दोनों एक दूसरे के विरोधाभासी हैं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि किसी भी मामले में विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा डी. डब्ल्यू. 1 पर विश्वास न करने के लिए ठोस कारण दिए गए हैं और विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा यह विशेष रूप से देखा गया है कि डी. डब्ल्यू. 1 के बयान से कोई विश्वास उत्पन्न नहीं होता है।

4.7 उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए और उपरोक्त निर्णयों पर भरोसा करते हुए, वर्तमान अपील को खारिज करने का अनुरोध किया जाता है।

5. हमने संबंधित पक्षों के विद्वान वकील को विस्तृत रूप से सुना है। हम निर्णय और दोषसिद्धि के आदेश से गुजरे हैं
उच्च न्यायालय के आदेश का अवलोकन किया है जिसमें अभियुक्त को भा0दं0वि0 की धारा 376 में दोषसिद्ध किया गया है ।

5.1 शुरुआत में, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि वर्तमान मामले में, अभियोजक ने अभियोजन पक्ष के मामले का पूरा समर्थन किया है। वह अपने बयान पर से अडिग एवं तथस्त रही है । कोई भी विशिष्ट में बताया गया कि अभियोजक की एकमात्र गवाही पर विश्वास क्यों नहीं किया जाना चाहिए। पूरी तरह से प्रतिपरीक्षा के बाद भी, वह अपनी बात पर कायम रही है और मामले का पूरा समर्थन

किया है। हम अभियोजक की विश्वसनीयता और/या विश्वसनीयता पर संदेह करने का कोई कारण नहीं देखते हैं। अभियुक्त की ओर से यह निवेदन कि किसी अन्य स्वतंत्र गवाह से पूछताछ नहीं की गई है और/या अभियोजन पक्ष के मामले और दोषसिद्धि का समर्थन किया गया है । उसने

विशेष रूप से बताया गया कि अभियोजक की एकमात्र गवाही पर विश्वास क्यों नहीं किया जाना चाहिए। पूरी तरह से प्रतिपरीक्षा के बाद भी, वह अपनी बात पर कायम रही है और मामले का पूरा समर्थन किया है । हम अभियोजक की विश्वसनीयता और/या विश्वसनीयता पर संदेह करने का कोई कारण नहीं देखते हैं। अभियुक्त की ओर से यह निवेदन कि किसी अन्य स्वतंत्र गवाह से पूछताछ नहीं की गई है और/या अभियोजन पक्ष के मामले और दोषसिद्धि का समर्थन किया गया है

अभियोजक की एकमात्र गवाही को कायम नहीं रखा जा सकता है, उपरोक्त में कोई सार नहीं है। 2 गणेशन (उपर्युक्त) के मामले में, इस न्यायालय ने टिप्पणी की है और पीड़ित/ट्राइक्स की एकमात्र गवाही पर दोषसिद्धि हो सकती है जब अभियोजक का बयान पाया जाता हैआपका, बेदाग, विश्वसनीय और उसका सबूत उत्कृष्ट गुणवत्ता का है।

उपरोक्त मामले में, इस न्यायालय के पास एकमात्र साक्ष्य पर दोषसिद्धि पर इस न्यायालय के निर्णयों पर विचार करने का अवसर था

0.1 क्या यौन उत्पीड़न या छेड़खानी से जुड़े मामले आदि में क्या एकमात् साक्ष्य पर दोषसिद्धि हो सकती है विजय [विजय बनाम। एम. पी. राज्य (2010) 8 एस. सी. सी

1] , यह पैरा 9 से 14 में निम्नानुसार देखा गया हैः (एससीसी पीपी। 195-98)

" 9. महाराष्ट्र राज्य में v. चंद्रप्रकाश

केवलचंद जैन [महाराष्ट्र राज्य]

वी.

चन्द्रप्रकाश केवलचंद जैन, (1990) 1 एस. सी. सी. 550]

अदालत ने माना कि एक महिला, जो यौन उत्पीड़न की शिकार है, वह अपराध का सहयोगी नहीं है लेकिन दूसरे व्यक्ति की वासना का शिकार है और इसलिए, उसके साक्ष्य का परीक्षण एक अपराधी साथी के समान संदेह के साथ करने की आवश्यकता नहीं है ।

न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी कीः (एस. सी. सी पी. 559, पैरा 16)

'16 . यौन अपराध के अभियोजक को एक अपराधी साथी के बराबर नहीं रखा जा सकता है । वह वास्तव में अपराध की शिकार है। साक्ष्य अधिनियम कहीं भी यह नहीं कहता है कि उसका साक्ष्य तब तक स्वीकार किया जाता है जब तक कि इसकी सामग्री विवरणों में पुष्टि नहीं की जाती है । वह निस्संदेह धारा 118 के तहत एक सक्षम गवाह है और वह साक्ष्य को वही वजन प्राप्त होना चाहिए जो कि शारीरिक हिंसा के मामलों में घायल के साथ होता है । उसके द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों में पर्याप्त सावधानी बरतनी चाहिये जैसा कि किसी घायल शिकायतकर्ता या गवाह को मामले में होता है । जरूयरी यह है कि न्यायालय को इस मामले में संजिदा एवं अवगत रहना चाहिये कि यह एक साक्ष्य इस कार्य कर रहा है, जिस पर आरोप लगाये व्यक्ति अपने परिणाम जानने की रूचित रखता है । वह व्यक्ति जो लगाए गए आरोप के परिणाम में रुचि रखता है । यदि न्यायालय इसे ध्यान में रखता है और संतुष्ट महसूस करता है कि यह अभियोजक के साक्ष्य पर कार्य कर सकता है,

तो ऐसा कोई नियम अथवा प्रथा नहीं है जैसा कि धारा 114 का चितरण ''बी'' में साक्ष्य को देखने की आवश्यकता है ।साक्ष्य अधिनियम में शामिल कानून या प्रथा धारा 114 का चित्रण (बी) जिसके लिए

इसे देखने की आवश्यकता है अभियोजक की गवाही पर स्पष्ट विश्वास पुष्टि। यदि किसी कारण से न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट प्रस्तुत करने में संकोच कर रहा है

[2021] 9 एस सी आर।

अभियोजक की गवाही पर अंतर्निहित निर्भरता यह ऐसे साक्ष्य की तलाश कर सकती है जो किसी सहयोगी के मामले में आवश्यक पुष्टि से कम उसकी गवाही को आश्वासन दे सके। अभियोजक की गवाही को आश्वासन देने के लिए आवश्यक साक्ष्य की प्रकृति अनिवार्य रूप से प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर होनी चाहिए। लेकिन यदि कोई अभियोजक वयस्क है और पूरी समझ रखता है तो अदालत को उसके साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि का अधिकार है जब तक कि उसे कमजोर और भरोसेमंद नहीं दिखाया जाता है। यदि मामले के अभिलेख पर दिखाई देने वाली परिस्थितियों की समग्रता से पता चलता है कि अभियोजक का अभियुक्त व्यक्ति को गलत तरीके से शामिल करने का कोई मजबूत उद्देश्य नहीं है, तो अदालत को आम तौर पर उसे स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए।

10. यू. पी. राज्य बनाम पप्पु [उत्तर प्रदेश राज्य बनाम। पप्पु, (2005) 3 एस. सी. सी. 594] इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि ऐसे मामले में भी जहां यह दर्शाते हुए कि लड़की सहज गुण वाली लड़की है यह बलात्कार के आरोप से आरोपित को दोषमुक्त करने का आधार नहीं हो सकता है । यह स्थापित करना होगा कि उस विशेष अवसर के लिए उनकी सहमति थी। अभियोजक पर चोट की अनुपस्थिति अभियुक्त को दोषमुक्त करने के लिए अदालत के पास यह कारण नहीं हो सकता है ।इस न्यायालय ने आगे अभिनिर्धारित करता है कि अभियोजक की एकमात्र गवाही पर दोषसिद्धि हो सकती है और यदि न्यायालय अभियोजक के कथन से संतुष्ट नहीं है, तो वह अन्य प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य साक्ष्य की मांग कर सकता है, जिसके द्वारा उसे उसकी गवाही का आश्वासन मिल सकता है। न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

(एस. सी. सी पी. 597, पैरा 12)

'12 . यह पूरी तरह से स्थापित तथ्य है कि किया गया है कि बलात्कार के अपराध का शिकार घटना के बाद अपराध साथी नहीं है । कानून का ऐसा कोई नियम नहीं है कि उसकी गवाही पर दूसरे से तुलना के बिना कार्रवाई नहीं की जा सकती है। वह एक घायल गवाह की तुलना में ज्यादा उच्चतर मान्यता की गवाह है । बाद के मामले में, शारीरिक रूप पर चोट होती है, जबकि पूर्व में यह शारीरिक के साथ-साथ मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक दोनों रूप से चोटिल होती है।

हालाँकि, यदि तथ्यों की अदालत को अभियोजक के संस्करण को उसके अंकित मूल्य पर स्वीकार करना मुश्किल लगता है, तो वह प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य साक्ष्य की खोज कर सकती है, जो उसकी गवाही को आश्वासन देगा। ऊल सिंह वी।

मध्य प्रदेश राज्य [एम. आर. शाह, जे.]

11. पंजाब राज्य बनाम गुरमीत सिंह (1996)एस0सी0सी0 384] न्यायालय ने यह माना कि यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़ आदि से जुड़े मामलों में अदालत ऐसे मामलों से पूरी तरह से निपटने के लिए कर्तव्यबद्ध है। संवेदनशीलता के साथ अभियोजक के बयान में मामूली विरोधाभास या महत्वहीन विसंगतियां अन्यथा विश्वसनीय अभियोजन मामले को खारिज करने का आधार नहीं होनी चाहिए। यौन हमले की पीड़ित का साक्ष्य दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त है और इसे किसी भी पुष्टि की आवश्यकता नहीं है जब तक कि पुष्टि की मांग करने के लिए बाध्यकारी कारण न हों। अदालत न्यायिक विवेक को संतुष्ट करने के लिए उसके बयान के कुछ आश्वासनों की तलाश कर सकती है। अभियोजक का बयान एक घायल गवाह की तुलना में अधिक विश्वसनीय है क्योंकि वह एक सहयोगी नहीं है। अदालत ने आगे कहा कि यौन अपराध के लिए प्राथमिकी दर्ज करने में देरी को ठीक से समझाया भी नहीं जा सकता है, लेकिन अगर स्वाभाविक पाया जाता है, तो आरोपी को इसका कोई लाभ नहीं दिया जा सकता है। न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी कीः

(एससीसी पीपी। 394-96 & 403 , पैरा 8 और 21)

' 8. विचारणीय अदालत ने उस स्थिति की अनदेखी की जिसमें एक गरीब असहाय नाबालिग लड़की

ने खुद को तीन हताश युवाओं के साथ पाया था जो उसे धमकी दे रहे थे और उसे कोई शोर मचाने से रोक रहे थे । और यदि जाँच अधिकारी ने जाँच ठीक से नहीं की या लापरवाही बरती अथवा चालक या कार का पता लगाने में सक्षम नहीं रहेंगे तो यह अभियोजक की गवाही को अमान्य करने का आधार कैसे बन सकता है? अभियोजक का जाँच एजेंसी पर कोई नियंत्रण नहीं था और एक जाँच अधिकारी की लापरवाही भरी जांच अभियोजक के बयान की विश्वसनीयता को प्रभावित नहीं कर सकती । विचारणीय अदालतों को साक्ष्य का मूल्यांकन करते समय इस तथ्य पर कायम रहना चाहिए कि

बलात्कार के मामले में, कोई भी आत्मसम्मान वाली महिला अदालत में केवल अपने सम्मान के खिलाफ अपमानजनक बयान देने के लिए आगे नहीं आएगी जैसे कि बलात्कार में शामिल है।

उसे यौन उत्पीड़न से जुड़े मामलों में, उसके साथ हुये अभियोजन पक्ष के मामले या यहां तक कि अभियोजन पक्ष के बयान में विसंगतियों को तब तक खारिज नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि विसंगतियां ऐसी न हों जो घातक प्रकृति की हों,

और विश्वसनीय अभियोजन मामले को खारिज करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। ..... उसकी कथनों की पुष्टि करने की मांग उसकी कथनों पर भरोसा करने से पूर्व उसकी दूसरे पक्षों से पुष्टि की मांग को एक नियम के रूप में देखना उसकी जख्मों को बढ़ावा देने के बराबर है ।

एक नियम के रूप में, उस पर भरोसा करने से पहले बयान, ऐसे मामलों में सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

चोट के अपमान को जोड़ने के बराबर है। ..... एक के रूप में पुष्टि

अभियोजक की गवाही पर न्यायिक निर्भरता की शर्त कानून की आवश्यकता नहीं है, बल्कि दी गई परिस्थितियों में विवेक का मार्गदर्शन है।

***

21. विचारणीय अदालतों को किसी मामले की व्यापक संभावनाओं की जांच करनी चाहिए और छोटे विरोधाभासों या विवादों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। अभियोजक के बयान में मामूली विसंगतियांए जो घातक प्रकृति की नहीं हैं, एक अन्यथा विश्वसनीय अभियोजन मामले को खारिज करने के लिए नहीं है । यदि अभियोजक का साक्ष्य विश्वास को प्रेरित करता हैए तो भौतिक विवरणों में उसके बयान की पुष्टि किए बिना उस पर भरोसा किया जाना चाहिए। यदि किसी कारण से अदालत को उसकी गवाही पर पूरी तरह से भरोसा करना मुश्किल लगता हैए तो वह ऐसे सबूत की तलाश कर सकती है जो उसे आश्वासन दे सकें। अभियोजक की गवाही को पूरे मुकदमें के पूर्व पुष्ट भूमि के संदर्भ में मूल्यांकन करना चाहिये और विचारणीय न्यायालय को अपने जिम्मेदारियों के प्रति संजिदा रहना चाहिये और यौन उत्पीड़िन से संबंधित मामलों को संवेदनशीलता के साथ निपटारा करना चाहिये । गवाही, एक साथी के मामले में आवश्यक पुष्टि की कमी। अभियोजक की गवाही होनी चाहिए पूरे मामले की पृष्ठभूमि में सराहना की जाती है और निचली अदालत को अपनी जिम्मेदारी के प्रति जागरूक होना चाहिए और यौन उत्पीड़न से जुड़े मामलों से निपटने के दौरान संवेदनशील होना चाहिए।

(मूल में जोर)

12. उड़ीसा राज्य में v. ठकारा बेसरा [उड़ीसा राज्य बनाम। ठकारा बेसरा, (2002) 9 एस. सी. सी. 86],इस न्यायालय ने कहा कि बलात्कार केवल शारीरिक हमला नहीं है, बल्कि यह अक्सर पीड़िता के व्यक्तित्व से प्रभावित करता है । बलात्कारी असहाय महिला की आत्मा को नीचा दिखाता है और इसलिए, अभियोजक की गवाही को पूरे मामले की पृष्ठभूमि में सराहा जाना चाहिए और ऐसे मामलों में, अन्य गवाहों से पूछताछ न करना भी अभियोजन मामले में गंभीर दुर्बलता नहीं हो सकती है, विशेष रूप से जहां गवाहों ने अपराध करते नहीं देखा था।

13. राज्य में एच. पी. बनाम. रघुबीर सिंह [राज्य

एच. पी. वी. रघुबीर सिंह, (1993) 2 एस. सी. सी. 622], इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अभियोजक के साक्ष्य की पुष्टि करने के लिए किसी अन्य साक्ष्य की तलाश करने की कोई कानूनी मजबूरी नहीं है। साक्ष्य को तौलना पड़ता है और गिना नहीं जाता है। अभियोजक की एकमात्र गवाही पर दोषसिद्धि दर्ज की जा सकती है, यदि उसका साक्ष्य विश्वास को प्रेरित करता है और

और अन्य साक्ष्य उसकी गवाही को प्रभावित नहीं करते है । वहाँ फूल सिंह बनाम।

मध्य प्रदेश का राज्य

[एम. आर. शाह, जे.]

वाहिद खान बनाम में इस न्यायालय द्वारा इसी तरह के दृष्टिकोण को दोहराया गया है। एम. पी. राज्य [वाहिद खान बनाम। एम. पी. राज्य, (2010)

2 एस. सी. सी. 9] पहले के फैसले पर भरोसा रखना रामेश्वर बनाम। राजस्थान राज्य [रामेश्वर बनाम। राजस्थान राज्य, ए. आई. आर 1952 एस. सी. 54]

14. इस प्रकार, इस मुद्दे पर जो कानून उभरता है, उसका यह आशय का है कि अभियोजक का बयान, यदि विश्वसनीय उच्च प्रकृति का है, पाया जाता है, तो किसी पुष्टि की आवश्यकता नहीं है। अदालत अभियुक्त को एकमात्र गवाही पर दोषी ठहरा सकती है ।

10.2 . कृष्ण कुमार मलिक बनाम। हरियाणा राज्य [कृष्ण]

कुमार मलिक बनाम। हरियाणा राज्य, (2011) 7 एस. सी. सी. 130], इस न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि किसी अभियुक्त को बलात्कार के अपराध के लिए दोषी ठहराने के लिए, अभियोजक का एकमात्र साक्ष्य पर्याप्त है, बशर्ते वह विश्वास को प्रेरित करे और पूरी तरह से भरोसेमंद, बेदाग और उत्कृष्ट गुणवत्ता का प्रतीत हो।

10.3 . जिसे "उत्कृष्ट गवाह" कहा जा सकता है, इस न्यायालय द्वारा राय संदीप बनाम में राज्य बताया गया है और उस पर विचार किया गया है। राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली) [राय संदीप बनाम। राज्य (दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र), (2012) 8 एस. सी. सी. 21]। पैरा 22 में, इसे निम्नानुसार मनाया और आयोजित किया गया हैः (एस. सी. सी पी. 29)

" 22. हमारी सुविचारित राय में, "उत्कृष्ट गवाह" बहुत उच्च गुणवत्ता और क्षमता का होना चाहिए जो अकाट्य होना चाहिये ।

ऐसे गवाह के बयान पर विचार करने वाली अदालत को बिना किसी हिचकिचाहट के इसे उसके अंकित मूल्य के लिए स्वीकार करने की स्थिति में होना चाहिए। ऐसे गवाह की गुणवत्ता का परीक्षण करने के लिए, गवाह की स्थिति महत्वहीन होगी और ऐसे गवाह द्वारा दिए गए बयान की सच्चाई प्रासंगिक होगी। ऐसे में वह प्रारंभिक बिंदु से अंत तक बयान की स्थिरता होगी, अर्थात् उस समय जब गवाह प्रारंभिक बयान देता है और अंततः अदालत के समक्ष। यह स्वाभाविक और अभियोजन पक्ष के मामले के अनुरूप होना चाहिए । पूर्णतः टिकाउ होता है। ऐसे गवाह के बयान में कोई पूर्वधारणा नहीं होनी चाहिए। गवाह इस स्थिति में होना चाहिए कि [2021] 9 एस. सी. आर. की प्रतिपरीक्षा का सामना कर सके ।

किसी भी परिस्थिति में घटना के तथ्य, इसमें शामिल व्यक्तियों के साथ-साथ इसके अनुक्रम के बारे में किसी भी संदेह के लिए जगह नहीं देनी चाहिए। इस तरह के संस्करण का प्रत्येक अन्य सहायक साक्ष्यों के साथ सह-संबंध होना चाहिए जैसे कि की गई बरामदगी, उपयोग किए गए हथियार, किए गए अपराध का तरीका, वैज्ञानिक साक्ष्य और विशेषज्ञ की राय। उक्त संस्करण को हर दूसरे गवाह के संस्करण के साथ लगातार मेल खाना चाहिए। यह भी कहा जा सकता है कि यह परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में लागू किए गए परीक्षण के समान होना चाहिए जहां अभियुक्त को उसके खिलाफ कथित अपराध का दोषी ठहराने के लिए परिस्थितियों की श्रृंखला में कोई गुम कड़ी नहीं होनी चाहिए। केवल तभी जब ऐसे गवाह का संस्करण उपरोक्त परीक्षण के साथ-साथ अन्य सभी समान परीक्षणों को लागू करने के योग्य बनाता है, तो यह माना जा सकता है कि ऐसे गवाह को "उत्कृष्ट गवाह" के रूप में बुलाया जा सकता है, जिसका संस्करण अदालत द्वारा बिना किसी पुष्टि के स्वीकार किया जा सकता है और जिसके आधार पर दोषी को दंडित किया जा सकता है। अधिक सटीक होने के लिए, अपराध के मूल स्पेक्ट्रम पर उक्त गवाह का संस्करण बरकरार रहना चाहिए, जबकि अन्य सभी परिचर सामग्री, अर्थात्, मौखिक, दस्तावेजी और भौतिक वस्तुओं को सामग्री विवरणों में उक्त संस्करण से मेल खाना चाहिए ताकि अपराध का प्रयास करने वाली अदालत को अपराधी को कथित आरोप का दोषी ठहराने के लिए अन्य सहायक सामग्री को छानने के लिए मूल संस्करण पर भरोसा करने में सक्षम बनाया जा सके।

5.3 पंकज चौधरी (ऊपर) के मामले में, यह देखा गया है कि एक सामान्य नियम के रूप में, यदि विश्वसनीय है, तो अभियुक्त की दोषसिद्धि एकमात्र गवाही पर, बिना पुष्टि के हो सकती है। यह भी देखा गया है कि अभियोजक की एकमात्र गवाही पर केवल धारणाओं और अनुमानों के आधार पर संदेह नहीं किया जाना चाहिए। पैराग्राफ 29 में, इसे निम्नलिखित रूप में अभिनिर्धारित किया गया हैः

" 29. यह अब कानून का अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत है कि अभियोजक की एकमात्र गवाही पर दोषसिद्धि को बनाए रखा जा सकता है यदि यह विश्वास को प्रेरित करता है। [विष्णु वी. महाराष्ट्र राज्य [विष्णु बनाम। महाराष्ट्र राज्य (2006) 1 एस. सी. सी. 283]। इस न्यायालय के कई फैसलों से यह अच्छी तरह से तय हो गया है कि कानून या व्यवहार में कोई नियम नहीं है।

पीड़िता के गवाही पर विश्वास करने से पूर्व उक्त साक्ष्यों पर विश्वास करना एवं नियम के तरह, उसके जख्मों को अपमान से जोड़ने के बराबर है ।

कि अभियोजक के साक्ष्य पर बिना पुष्टि के भरोसा नहीं किया जा सकता है और इस तरह यह निर्धारित किया गया है कि पुष्टि बलात्कार के मामले में दोषसिद्धि के लिए अनिवार्य नहीं है। अगर

पीड़िता का साक्ष्य भी बुनियादी दुर्बलता से पीड़ित नहीं है

[और फोन सिंह v मध्य प्रदेश राज्य [एम. आर. शाह, जे.]

" संभाव्यता कारक "इसे विश्वास के अयोग्य नहीं बनाता है, एक सामान्य नियम के रूप में, चिकित्सा साक्ष्य के अलावा पुष्टि पर जोर देने का कोई कारण नहीं है, जहां मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, चिकित्सा साक्ष्य के आने की उम्मीद की जा सकती है। [राजस्थान राज्य बनाम। एन. के [राजस्थान राज्य बनाम। एनके, (2000) 5 एससीसी 30] "।

ऐसे सम्मोहक कारण हैं जिनके लिए पुष्टि की तलाश करना आवश्यक हैउसके बयान के अनुसार, अदालतों को किसी आरोपी को दोषी ठहराने के लिए अकेले यौन उत्पीड़न की पीड़िता की गवाही पर कार्रवाई करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए।

5.4 साम सिंह बनाम हरियाणा राज्य 2018 एसीसी 34 में यह उल्लेखित है कि पीड़िता की गवाही महत्वपूर्ण है जब तक कोई बाध्यकारी कारण राक्ष्यों की ओर देखने को अनवार्य न कर दे । न्यायालय को यह यौन उत्पीड़न की पीड़िता के गवाह पर अभियुक्त को दोषसिद्ध करने का कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये । पीड़िता का गवाही साक्ष्य आत्मविश्वास से परा हो । पैराग्राफ 6 और 7 में कहा गया है कि इसका पालन और पालन इस प्रकार किया जाता हैः

" 6. हम इस बात से अवगत हैं कि बलात्कार के आरोप में एक आरोपी पर मुकदमा चला चलाना । उन्हें ऐसे मामलों से अत्यंत संवेदनशीलता के साथ निपटना चाहिए । अदालतों को किसी मामले की व्यापक संभावनाओं की जांच करनी चाहिए और अभियोजक के बयान में मामूली विरोधाभासों या महत्वहीन विसंगतियों से प्रभावित नहीं होना चाहिए, जो घातक प्रकृति के नहीं हैं।अदालतों के कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी है । अभियेाजन के गवाही को मूल्यांकन केश के सम्पूर्ण परिप्रेक्ष्य में इतना चाहिए और न्यायालय को यौन उत्पीड़न के मामले को जिम्मेदारी एवं संवेदनशीलना से देखाना चाहिये ।

अन्यथा विश्वसनीय अभियोजन मामला। अगर सबूत

[पंजाब राज्य बनाम देखें। गुरमीत सिंह [राज्य पंजाब बनाम. गुरमीत सिंह, (1996) 2 एस. सी. सी. 384] (एस. सी. सी. पी. 403, पैरा 21)।]

7. यह भी अब अच्छी तरह से तय हो गया है कि अदालतों को मूल्यांकन करते समय साक्ष्य, इस तथ्य पर जीवित रहते हैं कि बलात्कार के मामले में, कोई भी आत्मसम्मानपूर्ण महिला केवल अपने सम्मान के खिलाफ अपमानजनक बयान देने के लिए अदालत में आगे नहीं आएगी जैसे कि [2021] 9 एस. सी. आर. में शामिल है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

यौन उत्पीड़न के मामलों में अनुमति दिवार का अभियोजक के गवाहों पर कोई खास प्रभाव नहीं होता है । यहां तक पीड़िता के बयान में पाये गये विसंगतियों का भी नहीं, जब तक कि वह पूर्ण रूप से घातक न हो ।यौन उत्पीड़न से जुड़े मामलों में, अनुमानित विचार जिनका कोई भौतिक प्रभाव नहीं पड़ता है अभियोजन मामले की सच्चाई या यहां तक कि मामले में विसंगतियां

अभियोजक का बयान तब तक नहीं होना चाहिए जब तक कि विसंगतियां न हों।

ऐसे हैं जो घातक प्रकृति के हैं, उन्हें बाहर फेंकने की अनुमति दी जाए अन्यथा विश्वसनीय अभियोजन उनमें अंतर्निहित निर्लज्जत महिलाओं और यौन के आक्रोश को छिपाने की प्रवृत्ति आक्रामकता ऐसे कारक हैं जिन्हें अदालतों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए । ऐसे मामलों में पीड़ित की गवाही महत्वपूर्ण है और जब तक कि सम्मोहक कारण जिनके लिए पुष्टि की तलाश करना आवश्यक है उसके बयान पर, अदालतों को कार्रवाई करने में कोई कठिनाई नहीं मिलनी चाहिए एक अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए अकेले यौन उत्पीड़न की पीड़ित की गवाही जहाँ उसकी गवाही आत्मविश्वास को प्रेरित

करती है और विश्वसनीय पाई जाती है। उस पर भरोसा करने से पहले उसके बयान की पुष्टि करना एक नियम के रूप में, ऐसे मामलों में चोट के अपमान को जोड़ने के बराबर है।

असम [रंजीत]

(रंजीत हजारिका बनाम देखें। राज्य से हजारिका बनाम। असम राज्य, (1998) 8 एस. सी. सी. 635 "।

6. उपरोक्त में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को लागू करना

मामले के तथ्यों पर निर्णय और जैसा कि ऊपर देखा गया है, हम अभियोजक की विश्वसनीयता और/या विश्वसनीयता पर संदेह करने का कोई कारण नहीं देखते हैं। वह भरोसेमंद और विश्वसनीयता पाई जाती है। इसलिए, बिना किसी और पुष्टि के, अभियोजक की एकमात्र गवाही पर भरोसा करते हुए अभियुक्त की दोषसिद्धि को कायम रखा जा सकता है।

7. अब जहाँ तक अभियुक्त की ओर से निवेदन है कि अभियोजक के शरीर पर कोई बाहरी या आंतरिक चोट नहीं पाई गई थी और इसलिए यह सहमति का मामला हो सकता है, उपरोक्त में कोई बल नहीं है। ऐसा कोई सवाल नहीं पूछा गया, यहाँ तक कि किसी भी तरीके से अभियोजक को उसकी प्रतिपरीक्षा में । इसलिए, उपरोक्त निवेदन को पूरी तरह से खारिज कर दिया जाना चाहिए।

8. अब जहाँ तक अभियुक्त की ओर से निवेदन है कि विद्वत विचारण न्यायालय ने डी. डब्ल्यू. 1 पर विश्वास न करने में गलती की और बचाव पक्ष और बहाना की याचिका पर विश्वास न करने में गलती की कि घटना की रात वह इंदौर गया था और गाँव में मौजूद नहीं था, शुरुआत में, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा डी. डब्ल्यू. 1 पर विश्वास न करने और अभियुक्त द्वारा उठाए गए बहाना की याचिका पर विश्वास न करने के लिए ठोस कारण दिए गए हैं। डी. डब्ल्यू. 1 अभियुक्त के उसी गाँव का रहने वाला है । अदालत ने इंदौर जाने के कारण पर विश्वास नहीं किया है। यह अभियुक्त और बचाव पक्ष की ओर से मामला था कि एक फूल सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य [एम. आर. शाह, जे.]

बाबूलाल एक दुर्घटना का शिकार हो गया था, डी. डब्ल्यू. 1 और आरोपी इंदौर ने बाबूलाल को ले लिया और वे उस रात इंदौर में रुके थे। हालाँकि, यह पाया गया कि बाबूलाल को दो महीने पहले चोट लगी थी । बचाव पक्ष ने अस्पताल का रिकॉर्ड या अस्पताल के डॉक्टर या कर्मचारी की जांच नहीं की थी, जहां उक्त बाबूलाल को इलाज के लिए ले जाया गया था । बचाव पक्ष के अनुसार, वे इंदौर में तुलसीराम के घर में रहे थे, लेकिन उक्त तुलसीराम की जांच नहीं की गई है । यहां तक कि बाबूलाल की भी जांच नहीं की गई है । इन परिस्थितियों में, विद्वत विचारण न्यायालय ने अभियुक्त द्वारा उठाए गए बहाना की याचिका पर सही ही विश्वास किया है और डी. डब्ल्यू. 1 पर सही ही विश्वास नहीं किया है। साक्ष्य की सराहना पर, विद्वत विचारण न्यायालय ने विशेष रूप से कहा है कि डी. डब्ल्यू. 1 का बयान किसी भी विश्वास को प्रेरित नहीं करता है।

9. अब जहां तक अभियुक्त की ओर से यह निवेदन कि एफ. आई. आर. दर्ज करने में तीन दिन की देरी हुई, का संबंध है, शुरुआत में यह ध्यान रखना आवश्यक है कि अभियोजक की ओर से यह विशिष्ट और सुसंगत मामला था कि घटना के तुरंत बाद, उसने अपनी साली (जेठानी) और सास को

घटना के बारे में बताया, लेकिन वे अभियोजक पर विश्वास नहीं करते थे। इसके विपरीत उन्होंने उसे पीटा। यहां तक कि उसके वैवाहिक घर में परिवार के किसी अन्य सदस्य ने भी अभियोजक का समर्थन नहीं किया और इसलिए उसने अपने माता-पिता के घर संदेश भेजा और उसके बाद उसे उसके माता-पिता के घर ले जाया गया और प्राथमिकी दर्ज की गई। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस मामले में साली और सासू माँ भले ही वे महिलाएँ हों, लेकिन उन्होंने अभियोजक का समर्थन नहीं किया। इसके विपरीत, वह अपने माता-पिता के घर जाने के लिए मजबूर थी इस परिस्थिति में प्राथमिकी दर्ज करने में देरी हुई इसका लाभ अभियुक्त को नहीं दिया जा सकता है । और उसके बाद आई. पी. सी. की धारा 376 के पूर्व-संशोधन के अनुसार, न्यूनतम सजा सात साल होगी । हालांकि, परंतुक के अनुसार, अदालत, फैसले में उल्लिखित किए जाने वाले पर्याप्त और विशेष कारणों के लिए, सात साल से कम की अवधि के लिए कारावास की सजा दे सकती है। सजा देने के लिए कोई असाधारण और/या विशेष कारण नहीं बनाए गए हैं सात वर्ष से कम की अवधि के लिए कारावास। इसके विपरीत और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, यह कहा जा सकता है कि आरोपी [2021] 9 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

केवल सात साल के कठोर कारावास की न्यूनतम सजा देकर हल्के से निपटा गया है। पीड़ित रिश्तेदार था । वैवाहिक घर में परिवार में किसी ने उसका समर्थन किया और उसे आघात का सामना करना पड़ा। उसे अपने माता-पिता के घर जाने के लिए मजबूर किया गया और उसके बाद वह प्राथमिकी दर्ज करने में सक्षम हो गई। अभियुक्त एक झूठा मामला/बहाना याचिका के साथ सामने आया है, जिसे नीचे की अदालतों द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है। इन परिस्थितियों में, सजा को कम करने और/या सजा को सात साल के कठोर कारावास से सात साल के साधारण कारावास में बदलने के लिए अपीलार्थी की प्रार्थना स्वीकार नहीं की जाती है और इसे अस्वीकार कर दिया जाता है।

11. उपरोक्त और ऊपर बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान अपील खारिज हो जाती है और वही खारिज किए जाने के योग्य है और तदनुसार खारिज कर दिया जाता है । आई. पी. सी. की धारा 376 के तहत अपराध के लिए अभियुक्त-अपीलार्थी को दी गई दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि की जाती है।

अंकित ज्ञान याचिका खारिज खारिज किया जाता है ।